संख्या-645/22-2-2015-42जी/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0 प्र0, लखनऊ।

2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2015

विषयः- क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2015 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी राज्यों की शक्तियों के प्रयोग किये जाने पर रोक लगा दी गयी थी। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 23-07-2015 द्वारा उक्त स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 को कतिपय शर्तो के अधीन संशोधित कर दिया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 23-07-2015 का संगत प्रस्तर-4,5 व 7 निम्नवत हैः-

(4) Accordingly, we modify our order dated 09-07-2014, whereby we had restrained the State Governments from exercising power of remission or commutation to life convicts. The said order dated 09-07-2014 shall only apply to cases :

i) where life sentence has been awarded specifying that-

(a) the convict shall undergo life sentence till the end of his life without remission or commutation;
(b) the convict shall not be released by granting remission or commutation till he completes a fixed term such as 20 years or 25 years or like.

ii) where no application for remission or commutation was preferred, or considered suo motu by the concerned State Governments/authorities.
iii) where the investigation was conducted by any Central Investigating Agency like the Central Bureau of Investigation.
iv) where the life sentence is under any central law or under Section 376 of the Indian Penal Code, 1860 or any other similar offence.

------2

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) However, we clarify that the President of India in exercise of his powers under Article 72 of the Constitution of India and the Governors of the States in exercise of their powers under Article 161 of the Constitution of India are not prevented from exercising their power(s), insofar as the cases referred to in Para 4 above are concerned.

(7) It is also clarified that this order is subject to the final orders that may be passed by us while answering the referral order.

2- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत लाइसेन्स/फार्म-ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 ए के अन्तर्गत नामिनल रोल तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195,196 तथा 197 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल पर विचारण शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/1997 दिनांक 06-09-2004 एवं शासनादेश संख्या-1292जी/2012 दिनांक 02-11-2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन भी आजीवन कारावास के सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर विचारण शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92 दिनांक 13/04/2005 के अन्तर्गत किया जाता है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23-07-2005 के प्रस्तर-4 व 5 में उल्लिखित शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव महानिरीक्षक, कारागार को उपलब्ध कराये ताकि महानिरीक्षक कारागार यथास्थिति प्रोबेशन बोर्ड/सलाहकार समिति/दया याचिका समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन के विचारर्थ उपलब्ध करा सके।

4- यह शासनादेश उक्त क्रिमिनल रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-07-2015 के प्रस्तर-7 के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किया जाता है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-645(1)/22-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त परिक्षेत्रीय कारागार, उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in